अत्यावश्यक / तत्काल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–किसान भवन अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2924 भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2016

प्रति,

1. अध्यक्ष
 कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)

2. सचिव,
 कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)

3. अपर / संयुक्त / उप संचालक
 मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड
 ऑचलिक कार्यालय .... (समस्त)

———000———

कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार अधिसूचित कृषि जिन्स के क्रय तथा विक्रय की शर्ते निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) (क) के अनुसार मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किये जाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में मंडी बोर्ड के आदेश क्रमांक / बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2916 दिनांक 10.11.2016 का अवलोकन करें।

1. राज्य शासन के द्वारा किसान हित एवं मंडी के लायसेंसी व्यापारियों की सहुलियत हेतु यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कृषि जिन्सों का नीलामी के उपरांत भुगतान नगद, आर.टी.जी.एस., बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से करने की जानकारी का मंडियों में दैनिक रूप से किसानों के मध्य प्रचार–प्रसार किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान को भुगतान की प्रकिया का विकल्प चुनने का अधिकार पारदर्शी रूप से उपलब्ध रहे।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि अकाउंट पेयी चेक से किसान को भुगतान होने की दशा में भुगतान करने वाले संबंधित लायसेंसी व्यापारी की क्रय क्षमता के अनुसार जीवित प्रतिभूति मंडी में जमा हो और संबंधित व्यापारी अपनी क्रय क्षमता से अधिक का क्रय मंडी में सम्पन्न न कर पाये।

3. कपास आवक वाली 16 मंडियों में कॉटन कार्पोरशन ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी केन्द्र स्थापित किये गये है। संबंधित मंडी समितियों के सचिव का यह दायित्व होगा कि वह इन केन्द्रों को व्यवस्थित कर कियाशील करायें।

4. धान एवं मक्का आवक वाली मंडियों में जिला प्रशासन से संपर्क कर सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्थायें तत्काल कराई जाकर इन्हें कियाशील कराई जाये और इनका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जावे।

5. मूंग आवक वाली मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये शासन द्वारा नियुक्त संस्थायें SFAC, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड को मंडी में नियमानुसार संपूर्ण सुविधायें प्रदान कर किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलवाया जायेगा तथा केन्द्र शासन की योजना "प्राईज स्टेबलाईजेशन" अंतर्गत SFAC, भारतीय खाद्य निगम, नाफेड को बाजार भाव पर तुअर एवं उड़द खरीदी हेतु भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

6. मंडियों में सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार गृह निगम के द्वारा कृषकों एवं व्यापारियों को भण्डारण शुल्क में प्रदान की जा रही छूट (परिशिष्ट–एक पर जानकारी संलग्न है) का फ्लेक्स लगाकर प्रचार–प्रसार कराया जावेगा।

7. फल–सब्जी मंडियों में किसानों को असुविधा न हो, इसकी सतत् एवं निरन्तर मॉनिटरिंग सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा की जावेगी।

8. सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मध्यप्रदेश भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के माध्यम से मंडी समिति के प्रांगण में उपलब्ध मंडी समिति के गोदामों में 15 दिसम्बर 2016 तक किसानों को निःशुल्क भण्डारण सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी और इसकी सूचना किसानों को मंडी प्रांगण में जानकारी का प्रदर्शन कर तत्काल प्रभाव से की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्नः– **परिशिष्ट – एक**

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बोर्ड / बी–6 / 1–3 / उपविधि / 2925 भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2016

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान0 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।

3– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल।

4– प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल।

5– कलेक्टर जिला................. म0प्र0 (समस्त) ।

6– क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।

7– क्षेत्रीय प्रबंधक, कॉटन कार्पोरेशन इंडिया, इंदौर।

8– क्षेत्रीय प्रबंधक, नाफेड।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

MPWLC

परिशिष्ट - 1

कृषकों/व्यापारियों को भंडारण शुल्क दर में प्रस्तावित छूट का विवरण

क्र.	वस्तु का नाम	पैंकिग का प्रकार	भंडारण दर प्रतिमाह रू/पैसे	प्रस्तावित सामान्य छूट प्रतिशत में	छूट उपरांत दर प्रतिमाह रू./पैसे	सामान्य कृषक 200 क्विं प्रति सीजन में		कृषक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 200 क्विं प्रति सीजन में	
						अतिरिक्त छूट प्रतिशत में	दर रू./पैसे	अतिरिक्त छूट प्रतिशत में	दर रू./पैसे
1	सोयाबीन	50 से अधिक 100 किलो तक	9.90	25	7.43	30	5.21	40	4.46
		50 किलो या इससे कम	6.05	25	4.54	30	3.18	40	2.73
2	खाद्यान्न (समस्त प्रकार के)	50 से अधिक 100 किलो तक	9.90	15	8.42	30	5.90	40	5.05
		50 किलो या इससे कम	6.05	15	5.15	30	3.61	40	3.09
3	दलहन/तिलहन (समस्त प्रकार के)	50 से अधिक 100 किलो तक	10.50	15	8.93	30	6.26	40	5.36
		50 किलो या इससे कम	6.20	15	5.27	30	3.69	40	3.17
4	धान	75 से अधिक 100 किलो तक	11.80	15	10.03	30	7.03	40	6.03
		50 किलो से 75 किलो तक	10.85	15	9.23	30	6.47	40	5.54
		50 किलो या इससे कम	8.15	15	6.93	30	4.86	40	4.16